भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 998

उत्तर देने की तारीख : 13.12.2022

धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का अध्ययन करने के लिए आयोग

998. श्री मारगनी भरत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद और अन्य द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर मामले का क्या भविष्य है और समिति को दी गई समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ग): जी, नहीं। तथापि, दिनांक 06.10.2022 की अधिसूचना संख्या एस.ओ4742(इ) द्वारा आयोग का गठन किया गया है। आयोग के गठन, विषयागत विषयों और कार्यकाल संबंधी विवरण अधिसूचना में दिया गया है। अधिसूचना की प्रति अनुबंध में दी गई है। इसके अतिरिक्त, मामला न्यायाधीन है।

*****

ANNEXURE

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239368
CG-DL-E-06102022-239368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4532] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944
No. 4532] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4742(अ).—ऐतिहासिक रूप से सामाजिक असमानता एवं भेदभाव को झेलते आ रहे तथा उसके परिणामस्वरूप पिछड़ेपन का सामना करने वाले कतिपय व्यक्ति समूहों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, समय-समय पर, जारी राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अनुसूचित जातियां घोषित किया गया है।

और जबकि कतिपय समूहों ने राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से अनुमति प्राप्त धर्मों के अलावा अन्य धर्मों के नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करके अनुसूचित जाति की मौजूदा परिभाषा में संशोधन करने हेतु प्रश्न उठाया है तथा इसके विपरीत अनेक समूहों ने इसका विरोध किया है। मौजूदा अनुसूचित जातियों के कतिपय प्रतिनिधियों ने नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने का विरोध किया है। और जबकि यह एक मौलिक एवं ऐतिहासिक रूप से जटिल समाजशास्त्रीय तथा संवैधानिक प्रश्न है और एक सार्वजनिक महत्व का निश्चित मामला है।

और जबकि इसके महत्व, संवेदनशीलता और संभावित प्रभाव को देखते हुए इससे संबंधित परिभाषा में कोई भी परिवर्तन विस्तृत और निश्चित अध्ययन तथा सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर होना चाहिए। अभी तक जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अंतर्गत आयोग ने इस मामले की जांच नहीं की है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे नामतः -

अध्यक्ष

न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णनं, (भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश)

सदस्यगण

i) डॉ. रविन्दर कुमार जैन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) (एचपी-1981)

ii) प्रो. (डॉ.) सुषमा यादव, (सदस्य, यूजीसी)

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :-

i. संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, समय-समय पर, जारी राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा अन्य धर्म में धर्मान्तरित तथा ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंध होने का दावा करने वाले नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने संबंधी मामले की जांच करना;

ii. अनुसूचित जातियों की मौजूदा सूची के हिस्से के रूप में ऐसे नए व्यक्तियों को जोड़ने से मौजूदा अनुसूचित जातियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना;

iii. अन्य धर्मों में धर्मान्तरण के बाद रीति-रिवाज, परम्परा सामाजिक तथा अन्य दर्जा संबंधी भेद-भाव करने व लाभवंचित करने, तथा अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के प्रश्न पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के संदर्भ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आए बदलावों की जांच करना; और

iv. किसी भी अन्य संबद्ध प्रश्न की जांच करना जो आयोग केंद्र सरकार के परामर्श और सहमति से उचित समझे।

3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. आयोग अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. आरएल-12016/9/2021-आरएल सैल]

सुरेन्द्र सिंह, अपर सचिव